संख्या-188/2026/आई/1515218/2026/001-23-14002(003)/19/2026

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 लखनऊ, दिनांकः 05 नवम्बर, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखाशीर्षक 3054 वी0आई0पी0 विजिट व्यवस्था योजनान्तर्गत वाराणसी क्षेत्र के 06 कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-आई/784942/2026, दिनांक: 25.08.2026, पत्र संख्या- आई/794946/2026 दिनांक: 01.09.2026, पत्र संख्या- आई/794957/2026 दिनांक: 25.08.2026, पत्र संख्या- आई/846098/2026 दिनांक: 25.08.2026, पत्र संख्या- आई/848263/2026 दिनांक: 01.10.2026 एवं पत्र संख्या-आई/848255/2026 दिनांक: 01.10.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2026-27 में लेखाशीर्षक 3054 वी0आई0पी0 विजिट व्यवस्था योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित वाराणसी क्षेत्र के 06 कार्यों हेतु कुल लागत रू0 62.43 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि रू0 37.45 लाख (रूपये सैंतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	नि0ख0-1, वाराणसी	मॉरीसस के प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार एवं महामहिम राज्यपाल के दिनांक: 11.09.2025 के वाराणसी आगमन व प्रस्थान के प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु जनता की भीड़ को नियंत्रण करने हेतु पुलिस लाइन चौराहे से चौकाघाट बिजलीघर चौराहे बिजलीघर चौराहे चौकाघाट से कबीरचौरा अस्पताल तथा कबीरचौरा अस्पताल से विश्वेसरगंज के पास तक बैरियर एवं मोजो बैरिकेडिंग का कार्य	12.28	7.37

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2.	नि0ख0-1, वाराणसी	मा0 मुख्यमंत्री व महामहिम राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सरकार के दिनांक: 17.07.2025 से दिनांक 19.07.2025 के वाराणसी आगमन पर प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृस्टी से जनता की भीड़ को नियंत्रित करने हेतु चौकाघाट बिजलीघर से कबीरचौरा अस्पताल तक बैरियर एवं मोजो बैरिकेडिंग व व्यू कटर लगाने का कार्य।	8.97	5.38
3.	नि0ख0-1, वाराणसी	महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार एवं मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार का दिनांक: 31.10.2025 को वाराणसी आगमन पर प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु जनता की भीड़ को नियंत्रित करने हेतु पुलिस लाईन चौराहे से चौकाघट बिजली घर चौराहा, बिजली घर चौकाघाट चौराहा, कबीरचौरा अस्पताल तथा कबीरचौरा अस्पताल से विश्वेसरगंज के पास तक बैरियर्स एवं मोजो वैरिकेडिंग का कार्य।	13.85	8.31
4.	नि0ख0-1, वाराणसी	मा0 प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के दिनांक: 20.10.2024 क प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टि से जनता की भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस लाइन चौराहे से चौकाघाट तेलियाबाग सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय तक बैरियर वैरिकेडिंग, मोजो, डिवाइडर पेन्टिंग एवं थर्मोप्लास्टिक से सम्बन्धित कार्य।	14.07	8.44
5.	नि0ख0-1, वाराणसी	मा0 प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के दिनांक: 20.10.2024 को प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टि से जनता की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लाईन चौराहे से चौकाघाट, तेलियाबाग, सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय तक बैरियर, वैरिकेडिंग, मोजा डिवाइडर पेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक से सम्बन्धित कार्य (पार्ट-बी)	5.95	3.57
6.	नि0ख0-1, वाराणसी	जनपद वाराणसी में मा0 गृह मंत्री, अमित शाह महोदय, भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिनांक: 23.06.2025 को वाराणसी आगमन प्रस्तावित कार्यक्रम के मददेनजर सुरक्षा की दृस्टि से जनता की भीड़ को नियंत्रित करने हेतु सम्पूर्णानन्द यूनिवर्सिटी से लहुराबीर काल भैरव तक बैरियर व बैरिकेडिंग का कार्य।	7.31	4.38
		योग	**62.43**	**37.45**

<u>नियम व शर्ते:-</u>

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्यालय, लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रत्येक कार्य की कुल लागत का 60 प्रतिशत धनराशि निर्गत की जा रही है। अवशेष 40 प्रतिशत धनराशि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- आई/1298126/2026

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक: 15.04.2026 में उल्लिखित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में जनपदीय स्तर पर गठित समिति की संस्तुति/आख्या के उपरान्त शासन स्तर से निर्गत की जायेगी।

(3) मुख्यालय द्वारा उक्त बिलों का स्वस्तर से नियम व शर्तों के आलोक में परीक्षण करते हुए संस्तुत धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र भी संबंधित फर्म/इकाई से अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। यदि आवश्यक हो तो बिलों का प्री-ऑडिट कराकर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि बिल वास्तविकता के आधार पर भुगतान योग्य है। यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में समर्पित किया जायेगा।

(4) मुख्यालय प्रयोग की गयी सामग्री/कार्यों के मानकों के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे।

(5) मुख्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण हेतु प्रस्तावित धनराशि को आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त प्रायोजन/कार्यों हेतु पूर्व में किसी प्रकार की धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हो।

(6) मुख्यालय प्रश्नगत बिलों की पूर्व में दी गयी सहमति से मिलान करना सुनिश्चित करेगें, जिससे कि बिलों के भुगतान में पुनरावृत्ति न हो।

(7) किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/ऑडिट प्रस्तर के संबंध में मुख्यालय स्वयं उत्तरदायी होगें।

(8) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी मुख्यालय की होगी।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) प्रश्नगत परियोजना में विभागीय पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लगाई गई शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) मुख्यालय द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 37,45,000 (रुपये सैंतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 3054808000800 वी.आई.पी. विजिट के कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक: 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- उप सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन।
16- गृह (पुलिस) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।